कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

न्यायिक प्रतिष्ठान, गोरखपुर के अन्तर्गत बाह्य न्यायालय बॉसगांव में स्थित जीर्ण आवासीय भवन एवं इन्द्राज भवन की नीलामी माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 694/इन्फ्रा0 सेल, दिनांक 07.08.2021 के अनुपालन में सीलबन्द निविदा से की जानी है, जिस हेतु

निविदा की नियम व शर्ते

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय, गोरखपुर के अन्तर्गत बाह्य न्यायालय बॉसगांव में स्थित जीर्ण आवासीय भवन एवं इन्द्राज भवन की नीलामी के सम्बन्ध में दिनांक 13.09.2021 के अपरान्ह 12:00 बजे तक पंजीकृत एवं अधिकृत फर्मों से सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। नियत तिथि के उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. उक्त भवनों की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि मुव0 3,10,610/– (रूपये तीन लाख दस हजार छः सौ दस मात्र) नियत की गयी है।
3. निविदा जमा करते समय फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में मुव0–50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 10 दिन के अन्दर समस्त धनराशि केन्द्रीय नजारत में जमा करना होगा।
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत/अधिकृत फर्म, सेल टैक्स व राज्य को जमा किये जाने वाले अन्य करों हेतु पंजीकृत होनी चाहिए।
5. सभी प्राप्त निविदाओं को दिनांक 14.09.2021 को सायंकाल 04:00 बजे समिति के समक्ष सभागार में खोला जायेगा। निविदा खुलने के समय फर्म अपने अधिकृत व्यक्ति को भेज सकती है।
6. नीलामी हेतु आवेदक/फर्म को आधार कार्ड/निवास प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र निविदा प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदाएं किसी भी कार्य दिवस पर केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से निर्धारित शुल्क रु0 100.00 जमा कर निविदा प्रस्तुत करनें की तिथि से एक दिवस पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।
8. धरोहर धनराशि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 71 के अनुसार राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मियादी जमा रसीदों, बैंक जमा रसीदों इत्यादि के रूप में जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर के पक्ष में अथवा नकद रूप में केन्द्रीय नजारत में जमा किया जा सकता है।
9. फर्म की निविदा स्वीकृत न होने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि निविदाएं खुलने की तिथि अथवा अगले कार्यदिवस पर सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी।
10. निविदाएं किसी भी दशा में, निविदा खुलने की नियत तिथि दिनांक 14.09.2021 से एक दिन पूर्व केन्द्रीय नजारत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करवा दी जाय। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11. निविदा के आवंटित होने के उपरान्त नीलामी प्राप्तकर्ता को भवनों के ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण का कार्य अपनें स्वयं के व्यय पर करना होगा। जिला न्यायालय द्वारा कोई भी खर्च या व्यय देय नहीं होगा।

12. भवनों के ध्वस्तीकरण के दौरान वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं सामान्यजन की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करनें की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

13. यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना/दुलर्भ वस्तुयें प्राप्त होती है, तो ऐसी समस्त सम्पतियों पर न्याय विभाग का अधिकार होगा।

14. भवनों को तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नीलामी प्राप्तकर्ता की होगी।

15. किसी भी निवदा को बिना कारण बताये निरस्त करनें का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर के पास सुरक्षित है।

16. इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस में 4:00 बजे सांय से 5:00 बजे के मध्य उपरोक्त भवनों का अवलोकन बाह्य न्यायालय बॉसगांव स्थित नजारत अनुभाग से अनुमति प्राप्त करनें के उपरान्त कर सकते हैं।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मात्र जनपद न्यायालय, गोरखपुर का ही होगा।

18. निविदाओं की नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस पर केन्द्रीय नजारत से अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, गोरखपुर की अधिकारिक वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur पर प्राप्त की जा सकती है।

02.09.21 02/9/21 02/9/21

(अभय प्रकाश नारायण)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश/
(भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0–02,
गोरखपुरं

(विनय आर्या)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश/
(भ्र0नि0अधि0) यू0पी0एस0ई0बी0,
गोरखपुर।

(सत्या नन्द उपाध्याय)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–01, गोरखपुर।

Om Prakash 02/09/21

(ओम प्रकाश मिश्रा)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0),
कोर्ट सं0–03, गोरखपुर।

Approved 2/9/21